बिहार सरकार

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद

आई.ए.एस. संघ भवन, पटना हवाई अड्डा के निकट, पटना-14

विज्ञापन संख्या-बी.सी.ई.सी.ई.बी. (बी.सी.ई.सी.ई.)-2018/46 दिनांक- 21.09.2018

राज्य के विभिन्न संस्थानों में कृषि/ उद्यान आदि के प्रथम वर्ष स्नातक पाठ्यक्रमों एवं फार्मेसी संस्थानों के प्रथम वर्ष स्नातक पाठ्यक्रमों (शैक्षणिक सत्र 2018-2019) के लिये रिक्त स्थानों पर सीट आवंटन हेतु प्रथम कॉउन्सेलिंग एवं PCB ग्रुप के आधार पर दिनांक 05.09.2018 से 08.09.2018 तक सम्पन्न प्रथम कॉउन्सेलिंग में B.V.Sc. & A.H./ फिजीयोथेरैपी/ ऑक्युपेशनल थेरैपी / बी.एस-सी. लैब टेक./ बी.एस-सी. ओ.टी. असिस्टेंट / बी.एस-सी. एक्स-रे आदि पाठ्यक्रमों की बची सीटों पर सीट आवंटन हेतु द्वितीय कॉउन्सेलिंग के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना

1. बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा-2018 की विवरण पुस्तिका के कंडिका- 4.3.2 के अनुसार संयुक्त मेधासूची (PCM+PCB ग्रुप) के आधार पर राज्य के विभिन्न संस्थानों के अन्तर्गत कृषि / उद्यान आदि के प्रथम वर्ष स्नातक पाठ्यक्रम के 50% सीटों पर सत्र 2018-2019 के लिये प्रवेश हेतु प्रथम **कॉउन्सेलिंग दिनांक 03.10.2018 से प्रारम्भ होगी ।** सीटों की औपबन्धिक सूचना विवरण पुस्तिका में उपलब्ध है।

2. कंडिका-1 के अन्तर्गत वर्णित पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त मात्र PCB ग्रुप के पाठ्यक्रमों यथा, B.V.Sc. & A.H./ फिजीयोथेरैपी/ ऑक्युपेशनल थेरैपी / बी.एस-सी. लैब टेक./ बी.एस-सी. ओ.टी. असिस्टेंट / बी.एस-सी. एक्स-रे आदि में **नामांकन हेतु दिनांक 05.09.2018 से दिनांक 08.09.2018 तक सम्पन्न कॉउन्सेलिंग में सीट आवंटन के उपरान्त बची शेष रिक्तियाँ भी संयुक्त मेधासूची के आधार पर आयोजित इस कॉउन्सेलिंग में भी उपलब्ध रहेंगी ।**

3. उपरोक्त कंडिका-1 एवं 2 के अनुसार रिक्तियों के विरूद्ध पाठ्यक्रम / संस्थान आवंटन हेतु काउन्सेलिंग में सम्मिलित होने के लिए पात्रता (eligibility) निर्धारण हेतु बी.सी.ई.सी.ई.-2018 में सम्मिलित सभी PCB / PCM / PCMB उम्मीदवारों [विज्ञापन संख्या-बी.सी.ई. सी.ई.बी.(बी.सी.ई.सी.ई.)- 2018/21 दिनांक 19.06.2018 द्वारा वेबसाइट / समाचार पत्रों में पूर्व प्रकाशित सूचनाओं के अन्तर्गत PCM एवं PCB ग्रुपों की मेधा सूचियों में सम्मिलित उम्मीदवारों सहित] के यथा उपलब्ध कुल प्राप्तांको पर आधारित संयुक्त मेधा सूची (Joint merit list) पर्षद की website: bceceboard.bihar.gov.in पर उपलब्ध करा दी गयी है । इस संयुक्त मेधा सूची में सम्मिलित प्रत्येक इच्छुक उम्मीदवार को आरक्षण कोटिवार अपना संयुक्त मेधाक्रमांक प्राप्त करने एवं सम्बन्धित कॉउन्सेलिंग / साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिये निम्नवत प्रक्रिया करना आवश्यक है;

''पर्षद के वेबसाईट bceceboard.bihar.gov.in के Home page पर जाकर Joint Rank of BCECE-2018 (PCM/ PCB) के प्रावधान के अनुसार निर्देशित जगह पर बी.सी.ई.सी.ई.-2018 का अपना रौल नं. एवं जन्म तिथि डाल कर संयुक्त मेधाक्रम की जानकारी ले लें ।'' इसके आधार पर यदि अभ्यर्थी कंडिका-1 में उल्लिखित कॉउन्सेलिंग में सम्मिलित होना चाहता है तो **'Submit your option online'** बटन पर **Click** करे और उसका प्रिंट निकाल ले जिसपर उसका कोटिवार संयुक्त मेधाक्रम एवं **Option ID** छपा होगा । इस प्रिंट को कॉउन्सेलिंग के समय लाना अनिवार्य होगा । Online option दिनांक 22.09.2018 से दिनांक 27.09.2018 (11.59 बजे अपराह्न तक) तक submit किया जायेगा ।

4(क). बी.सी.ई.सी.ई.-2018 में सम्मिलित केवल वैसे सभी उम्मीदवार ही उपरोक्त कंडिका-1 एवं 2 के अनुसार उपलब्ध रिक्तियों के विरूद्ध पाठ्यक्रम / संस्थान आवंटन हेतु कॉउन्सेलिंग में भाग लेने के लिये पात्रता-प्राप्त (eligible) होंगे जिन्होने उपरोक्त कंडिका-3 में उल्लिखित प्रक्रियानुसार उपरोक्त **कॉउन्सेलिंग में सम्मिलित होने के लिए अपने Option को Online submit कर अपना कोटिवार संयुक्त मेधा क्रमांक (Joint Rank) एवं Option ID दिनांक 22.09.2018 से दिनांक 27.09.2018 (11.59 बजे अपराह्न तक) की अवधि में प्राप्त कर लिया है ।**

(ख) कंडिका 1 एवं 2 के अनुसार उपलब्ध रिक्तियों के विरूद्ध सीट पुनर्आवंटन / आवंटन हेतु पर्षद की वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in पर निर्धारित कॉउन्सेलिंग कार्यक्रम दिनांक 29.09.2018 से उपलब्ध करा दिया जायेगा। कॉउन्सेलिंग कार्यक्रम दिनांक 03.10.2018 से प्रारम्भ हो जायेगा ।

5. उपरोक्त कंडिका 4(क) के अनुसार पात्रता-प्राप्त एवं निर्धारित तिथि तक प्राथमिकता भरने वाले जिन उम्मीदवारों को उपरोक्त कंडिका 4(ख) के अनुसार उपलब्ध साक्षात्कार कार्यक्रम में भाग लेने के लिये कोटिवार सम्मिलित किया गया है, वे अपने कोटिवार साक्षात्कार तिथि / तिथियों को स्वयं साक्षात्कार में उपस्थित हों अन्यथा ऐसे उम्मीदवार उपरोक्त कंडिका 4(ख) के अनुसार वेबवाइट पर उपलब्ध कराये गये साक्षात्कार कार्यक्रम में सम्मिलित होने एवं तदनुसार पुनर्आवंटन / आवंटन / नामांकन हेतु अपना दावा खो देगें ।

6. (क) विभिन्न संस्थानों में उपलब्ध रिक्तियों की पाठ्यक्रमवार, आरक्षण कोटिवार संख्या साक्षात्कार के समय देखी जा सकती है।

(ख) साक्षात्कार तथा मेधा-सह-विकल्प के आधार पर सीट आवंटन हेतु सभी नियम वही रहेंगे जिनका उल्लेख पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन सं.-बी. सी.ई.सी.ई.बी. (बी.सी.ई.सी.ई.)-2018/27 दिनांक 16.07.2018 में है ।

(ग) आरक्षण के लागू प्रावधानों के अनुसार आरक्षित वर्गों के जो उम्मीदवार सामान्य कोटि Unreserved (UR) की मेधा-सूची में सम्मिलित हैं, उनके रौल नम्बर सामान्य कोटि Unreserved (UR) की मेधा-सूची में तथा साथ ही उनकी संबंधित आरक्षित कोटि की मेधा- सूची में भी अंकित हैं । ऐसे उम्मीदवारों को नियमानुसार यह सुविधा रहेगी कि वे संस्थान/ पाठ्यक्रम के चुनाव में सामान्य कोटि Unreserved (UR) के मेधा क्रमांक पर कॉउन्सेलिंग / साक्षात्कार में अपनी आरक्षित कोटि का लाभ स्वेच्छानुसार ले सकते हैं । अत: आरक्षण कोटियों के वैसे अभ्यर्थी जो सामान्य कोटि Unreserved (UR) की मेधासूची में सम्मिलित है उनको अपने सामान्य मेधाक्रम के अनुसार निर्धारित तिथि को कॉउन्सेलिंग हेतु आना अनिवार्य है । अन्यथा उनके मेधाक्रम के नीचे के मेधाक्रम वाले अभ्यर्थियों को सीटें आवंटित हो जायेंगी जिसके लिये वे स्वयं जिम्मेवार होंगे।

7. साक्षात्कार एवं सीट आवंटन का कार्य बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद कार्यालय, आई०ए०एस० संघ भवन, पटना हवाई अड्डा के निकट, पटना-14 में सम्पन्न होगा।

8. विवरण पुस्तिका की कंडिका 15.2(ग) अनुसार कृषि एवं उद्यान स्नातक पाठ्यक्रमों की 50 % सीटों पर BCECE-2018 के आधार पर CBA / PCA / MBA / MCA [Joint (AG) Merit List] Group के अभ्यर्थियों का CBA / PCA / MBA / MCA ग्रुप की मेधा क्रम के आधार पर दिनांक 09.09.2018 से दिनांक 10.09.2018 तक कॉउन्सेलिंग सम्पन्न की जा चुकी हैं। शेष रिक्तियाँ उपलब्ध हो जाने के पश्चात् द्वितीय कॉउन्सेलिंग की सूचना बाद में दी जायेगी ।

9. **इस विज्ञापन की कंडिका-4(ख) के अनुसार साक्षात्कार हेतु पात्रता प्राप्त सभी उम्मीदवारों को विवरण पुस्तिका के पृष्ठ-1 एवं 2 में उल्लिखित सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत सभी निम्नांकित मूल प्रमाण पत्र/ दस्तावेज दो स्वअभिप्रमाणित छाया प्रतियों के साथ साक्षात्कार के लिये साथ लाना अनिवार्य है :**

(i) इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा का (क) मूल प्रवेश-पत्र, (ख) मूल अंक-पत्र तथा (ग) मूल/ औपबंधिक उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र।

(ii) मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा का (क) मूल प्रवेश-पत्र, (ख) मूल अंक-पत्र तथा (ग) मूल/ औपबंधिक प्रमाण-पत्र (जन्म तिथि प्रमाण हेतु)।

(iii) बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा-2018 के मूल प्रवेश-पत्र तथा उसमें लगाए गए फोटोग्राफ की छः अतिरिक्त प्रतियाँ । **(iv)** मूल जाति प्रमाण-पत्र, **(v)** मूल आवासीय प्रमाण-पत्र, **(vi)** चरित्र प्रमाण-पत्र, **(vii)** विवरण पुस्तिका के पृष्ठ 1 एवं 2 में वर्णित अन्य प्रमाण-पत्र, जहाँ लागू हों, यथा-भूतपूर्व सैनिक (SMQ) हेतु भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण-पत्र तथा विकलांगता कोटा (DQ) हेतु विकलांगता प्रमाण पत्र आदि ।

(iv) यदि उम्मीदवार किसी संस्थान में नामांकित है तो नामांकन शुल्क जमा करने की मूल रसीद तथा संस्थान के प्राचार्य से इस आशय का प्रमाण-पत्र जिसमें यह उल्लेख हो कि उम्मीदवार संस्थान का bonafide छात्र है और उसके सभी मूल प्रमाण-पत्र उस संस्थान के कार्यालय में जमा हैं । प्राचार्य के प्रमाण पत्र में उम्मीदवार का बी.सी.ई.सी.ई.-2018 का रौल नं., मेधा क्रम तथा कोटि जिसके अन्तर्गत उसका नामांकन हुआ है, का भी उल्लेख रहना चाहिये ।

उपरोक्त मूल प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों में से जो मूल प्रमाण पत्र/ दस्तावेज उम्मीदवार द्वारा उस संस्थान में जमा हों जहाँ उसका नामांकन हुआ है तो उस संस्थान के प्राचार्य से उनके जमा होने और आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराने का प्रमाण पत्र साक्षात्कार / कॉउन्सेलिंग के समय अवश्य प्रस्तुत करें।

10. जो उम्मीदवार इस विज्ञापन की कंडिका-4 के साक्षात्कार कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिये पात्रता प्राप्त (eligible) हैं उनको इस साक्षात्कार हेतु अलग से साक्षात्कार पत्र नहीं भेजा जा रहा है । **ऐसे उम्मीदवारों ने यदि उपरोक्त कंडिका 3 के अनुसार निर्धारित तिथि तक साक्षात्कार कार्यक्रम में भाग लेने हेतु अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए Online option submit किया है तो वे इस सूचना के आधार पर निर्धारित तिथि एवं समय पर साक्षात्कार में निश्चित् रूप से उपस्थित हो अन्यथा उनको अनुपस्थित मान लिया जायेगा जिसके लिये पर्षद उत्तरदायी नहीं होगा । जो उम्मिदवार निर्धारित तिथि तक Online option submit नहीं करेंगे, वे कॉउन्सेलिंग में भाग लेने के योग्य / हकदार नहीं होंगे।**

परीक्षा नियंत्रक